



शहरी सहकारी बैंकों के लिये चार स्तरीय संरचना

drihitiias.com/hindi/printpdf/4-tier-structure-for-urban-cooperative-banks

पिरलिम्स के लिये

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी सहकारी बैंक, जोखिम भारित संपत्ति अनुपात, अम्बरेला संगठन, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचा, बेसल III

मेन्स के लिये

शहरी सहकारी बैंक की अवधारणा और इसमें सुधार की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लिये एक चार स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है।

- केंद्र सरकार ने जून 2020 में सभी शहरी और बहु-राज्य सहकारी बैंकों को RBI की सीधी निगरानी में लाने के लिये एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी।
- RBI ने जनवरी 2020 में UCB के लिये पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचा (SAF) को संशोधित किया।

प्रमुख बिंदु

शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण:

- बैंकों की सहकारिता, पूंजी की उपलब्धता और अन्य कारकों के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों को नियामक उद्देश्यों के लिये चार स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
 - **टियर 1:** सभी यूनिट यूसीबी और वेतन पाने वाले यूसीबी (जमा आकार के बावजूद) तथा अन्य सभी यूसीबी जिनके पास 100 करोड़ रुपए तक जमा हैं।
 - **टियर 2:** 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले यूसीबी।
 - **टियर 3:** 1,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले यूसीबी।
 - **टियर 4:** 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि वाले यूसीबी।
- इनके लिये जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (Capital to Risk-Weighted Assets Ratio) हेतु न्यूनतम पूंजी 9% से 15% तक और टियर 4 शहरी सहकारी बैंकों के लिये बेसल III निर्धारित मानदंडों में भिन्न हो सकती है।

अम्बरेला संगठन:

- इस समिति ने सहकारी बैंकों की देखरेख के लिये एक **अम्ब्रेला संगठन (Umbrella Organisation)** स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है तथा सुझाव दिया है कि यदि ये सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो इन्हें और शाखाएँ खोलने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- अम्ब्रेला संगठन आर्थिक रूप से मज़बूत होना चाहिये और एक पेशेवर बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अच्छी तरह से शासित होना चाहिये।

पुनर्निर्माण:

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत आरबीआई अनिवार्य सम्मेलन या यूसीबी के पुनर्निर्माण की योजना तैयार कर सकता है, जैसे बैंकिंग कंपनियों का निर्माण करता है।

पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचा (SAF):

- SAF को मौजूदा ट्रिपल संकेतकों के बजाय दोहरे संकेतक दृष्टिकोण का पालन करना चाहिये यानी इसे नेट **नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स** और CRAR के माध्यम से मापी गई संपत्ति की गुणवत्ता और पूंजी पर विचार करना चाहिये।
SAF का उद्देश्य किसी बैंक के वित्तीय तनाव के लिये समयबद्ध उपाय खोजना होना चाहिये।
- यदि कोई 'शहरी विकास बैंक' लंबे समय तक SAF के सख्त चरण में रहता है, तो इसका उसके संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसकी वित्तीय स्थिति और खराब हो सकती है।

सुधार की आवश्यकता:

• प्रतिबंधात्मक नीतियाँ:

'पूँजी' सहित संरचनात्मक मुद्दों और वैधानिक ढाँचे में अंतराल के कारण नियामक सुगमता के वांछित स्तर की कमी के कारण सहकारी बैंकों के लिये नियामक नीतियाँ उनके व्यवसाय संचालन के संबंध में प्रतिबंधात्मक रही हैं, जो काफी हद तक उनके विकास को प्रभावित कर रहा है।

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अधिनियमन के साथ वैधानिक कमियों को काफी हद तक दूर किया गया है।

• वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में इस क्षेत्र के महत्त्व तथा इसके ग्राहक आधार की बड़ी संख्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के नियमन हेतु अपनाई गई रणनीतियों की व्यापक समीक्षा की जाए ताकि इसके लचीलेपन को बढ़ाया जा सके और इसे सतत एवं स्थायी विकास के लिये एक सक्षम वातावरण प्रदान किया जा सके।

सहकारी बैंक

परिचय:

- **सहकारी बैंक**, जो वाणिज्यिक बैंकों से अलग हैं, सहकारी ऋण समितियों की अवधारणा से पैदा हुए थे, जहाँ एक समुदाय, समूह के सदस्य एक-दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण देने के लिये एक साथ थे।
- सहकारी बैंकों को उनके परिचालन क्षेत्र के आधार पर आमतौर पर शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया गया है।
- वे संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं।

- सहकारी बैंक निम्नलिखित द्वारा शासित होते हैं:
 - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
 - बैंकिंग कानून (सहकारी समितियाँ) अधिनियम, 1955

सहकारी बैंकों की विशेषताएँ:

- **ग्राहक के स्वामित्व वाली संस्थाएँ:** सहकारी बैंक के सदस्य बैंक के ग्राहक और मालिक दोनों होते हैं।
- **डेमोक्रेटिक मॅबर कंट्रोल:** इन बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों के पास होता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। "एक व्यक्ति, एक वोट" के सहकारी सिद्धांत के अनुसार, सदस्यों के पास आमतौर पर समान मतदान अधिकार होते हैं।
- **लाभ आवंटन:** वार्षिक लाभ, लाभ या अधिशेष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आमतौर पर भंडार बनाने के लिये आवंटित किया जाता है और इस लाभ का एक हिस्सा सहकारी सदस्यों को भी कानूनी तथा वैधानिक सीमाओं के साथ वितरित किया जा सकता है।
- **वित्तीय समावेशन:** इन्होंने बैंक रहित ग्रामीण जनता के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को सस्ता ऋण प्रदान करते हैं।

बेसल III मानदंड

- **परिचय:**
 - बेसल III मानक बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये मानक बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की एक शृंखला प्रस्तुत करते हैं जिसके द्वारा बैंकों के विनियमों में सुधार, जोखिम प्रबंधन और बैंकों का पर्यवेक्षण किया जाता है।
 - BCBS सदस्य समिति द्वारा स्थापित समय-सीमा के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में मानकों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- **तीन स्तंभ:** बेसल 3 मानक तीन स्तंभों पर आधारित हैं:
 - **स्तंभ 1:** वित्तीय और आर्थिक अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले उतार-चढ़ाव को अवशोषित करने के लिये बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करना।
 - **स्तंभ 2:** बैंकिंग क्षेत्र की जोखिम प्रबंधन क्षमता और शासन में सुधार करना।
 - **स्तंभ 3:** बैंकों की पारदर्शिता और प्रकटीकरण को मज़बूत करना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
